

विद्युत मंत्रालय विज्ञापन सं.3/33/2014-टी एवं आर
केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई)

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त सोसाइटी)

भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में सी पी आर आई, जो विद्युत शक्ति इंजीनियरी में अग्रणी अनुसंधान संगठन है, और जिसका प्रधान कार्यालय बंगलूर में है, के महानिदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पद का वेतनमान रु. 67,000-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)- 79,000 है, जिसके साथ केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सामान्य भत्ते हैं। पद को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है।

अर्हता/अनुभव

अनिवार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान अथवा समतुल्य से विज्ञान (भौतिकी / रसायन / सामग्री विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के अलावा निम्न क्षेत्रों में से किसी में 15 वर्षों का अनुभव:

- (क) उत्पादन केन्द्रों का अभिकल्प तथा / अथवा निर्माण तथा / अथवा प्रचालन तथा अनुरक्षण।
- (ख) विद्युत पारेषण तथा / अथवा आपूर्ति का अभिकल्प तथा / अथवा निर्माण तथा / अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान।

वांछनीय : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान (भौतिकी / रसायन / सामग्री विज्ञान) में पीएचडी अथवा इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी (वैद्युत / यांत्रिक / ऊर्जा अध्ययन / सामग्री विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री। आवेदक उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ प्रशासनिक क्षमता रखता हो तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए रुझान रखता हो।

प्रतिनियुक्ति के लिए: केन्द्र / राज्य सरकार / विद्युत बोर्डों / विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / सार्विक / अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:

- (क) (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पदासीन अथवा
(ii) रु. 37,400-67,000 के वेतन बैंड के अलावा रु. 10,000 का ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव; तथा
- (ख) सीधी भर्ती के लिए यथोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हों।

प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों की होगी, जिसे अध्यक्ष (सी पी आर आई), उपाध्यक्ष (सी पी आर आई) तथा अध्यक्ष, सी पी आर आई शासी परिषद् द्वारा नामित किए जाने वाले शासी परिषद् के एक सदस्य से गठित 3 सदस्यों की समिति के अनुमोदन से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जा सकता है।(इस नियुक्ति के तुरंत पहले केंद्र

सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

सीधी भर्ती के मामले में

महानिदेशक, सीपीआरआई के तौर पर नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर अध्यक्ष, सीपीआरआई, उपाध्यक्ष, सीपीआरआई तथा अध्यक्ष, सीपीआरआई द्वारा नमित शासी परिषद के एक सदस्य से गठित 3 सदस्यों की समिति द्वारा निष्पादन समीक्षा की जाएगी। परिणाम से पदधारी को अवगत कराया जाएगा, जो उन पर बाध्यकारी होगा।

(टिप्पणी : उपर्युक्त अर्हताएं और अनुभव न्यूनतम हैं तथा उनके केवल होने मात्र से ही कोई आवेदक चयनित सूची में रखे जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता। सरकार बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार रखती है।)

आयु सीमा: आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर।

सीधी भर्ती के लिए : 55 वर्षों से अधिक न हो।

प्रतिनियुक्ति के लिए : 56 वर्षों से अधिक न हो।

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) :

सीपीआरआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1960 में की गई तथा 1978 के दौरान इसका सोसाइटी में पुनर्गठन किया गया। संस्थान का मुख्य उद्देश्य है, वैद्युत शक्ति इंजीनियरी में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के अलावा वैद्युत उपस्कर और संघटकों के लिए स्वतंत्र परीक्षण तथा प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना ताकि विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हुए सुधार, नवाचार लाया जा सके और नए उत्पादों का विकास किया जा सके।

विद्युत इंजीनियरी के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संगठन होने के कारण विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थान की अनेक अनुसंधान प्रयोगशालाएं और परीक्षण अधिष्ठापन हैं। सीपीआरआई का मुख्यालय बेंगलूरु में है जहां अधिकतर प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। अन्य एकक भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कोलकाता और गुवाहाटी में हैं।

महानिदेशक, सीपीआरआई का कार्य विवरण:

सीपीआरआई का प्रशासन शासी परिषद करती है। सचिव, विद्युत मंत्रालय शासी परिषद के अध्यक्ष हैं। संगठन का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होने के नाते महानिदेशक, सीपीआरआई विद्युत क्षेत्र में परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। महानिदेशक, सीपीआरआई के कार्य दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- क) शासी परिषद के निर्देशन और मार्गदर्शन में सोसाइटी के कार्यों का उचित प्रशासन।
- ख) संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सोसाइटी के अधिकारियों और स्टाफ पर नियमों और अधिनियमों के अध्यक्षीन, यथावश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक नियंत्रण रखना।
- ग) सोसाइटी के अंतर्गत सभी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, परीक्षण तथा अन्य क्रियाकलापों का समन्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण करना।

महानिदेशक के अधिकार :

सभी मामलों में महानिदेशक को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो भारत सरकार के अधीन एक विभागाध्यक्ष को प्राप्त होते हैं तथा सोसाइटी के अध्यक्ष के निर्देशन, अधीक्षण एवं नियंत्रण में अपने अधिकारों का वे प्रयोग करते हैं।

महानिदेशक, सीपीआरआई की नियुक्ति (सीधी भर्ती) के लिए चुने गए अभ्यर्थी की निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :

- i. महानिदेशक, सीपीआरआई के पद पर नियुक्ति संगम ज्ञापन में शामिल प्रावधानों, सीपीआरआई के नियम एवं विनियमों तथा सीपीआरआई पर लागू अन्य नियमों एवं अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगी।
- ii. वेतन रु. 67000(3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)-79000/- के वेतनमान में नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा एवं वे समय-समय पर सीपीआरआई में अपने ग्रेड के अधिकारियों को यथास्वीकार्य भत्तों को प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- iii. नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग में काम करने का दायित्व शामिल है।

आवासीय व्यवस्था :

चुने गए अधिकारी के लिए सीपीआरआई के नियमों एवं विनियमों के अधीन बंगलूरु के मुख्यालय में आवासीय व्यवस्था की जाएगी।

उनकी अन्य सेवा शर्तें जैसे भविष्य निधि, छुट्टी यात्रा रियायत समय-समय पर सीपीआरआई के अधीन लागू विभिन्न संगत नियमों और आदेशों से नियंत्रित होंगी।

संलग्नक 1 (भाग क एवं ख) में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भेजा जाना है।

निर्धारित प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन 30.3.2015 को या इससे पहले, निदेशक, टी एंड आर प्रभाग, विद्युत मंत्रालय, एफ विंग, दूसरा तल, गेट सं.2, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए।

केंद्र/राज्य सरकार/विद्युत बोर्ड/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संवैधिक/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रपत्र के भाग (ख) को विधिवत भरकर उचित माध्यम से अपना आवेदन अग्रहित करें। अग्रिम प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का पक्ष-प्रचार अभ्यर्थी को अनर्ह बनाएगा।

भाग-क

महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरु के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन

1. (क) नाम
(ख) नागरिकता
2. जन्म तिथि
आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को आयु
3. अगर किसी संगठित सेवा/संवर्ग के हो तो
आबंटन वर्ष सहित विवरण
4. वर्तमान पदनाम
5. वर्तमान पद का वेतनमान
6. वर्तमान परिलब्धियों के ब्यौरे
प्रभावी तारीख
मूल वेतन
ग्रेड वेतन
महंगाई भत्ता
अन्य भत्तों के ब्यौरे

कुल परिलब्धियां
7. (क) क्या वर्तमान पद नियमित आधार पर है: हाँ/नहीं

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति के मामले में आपका : हाँ/नहीं
संगठन इस पद के पुर्ग्रहणाधिकार को
रखने की अनुमति देगा

8. (क) यदि 7(क) का उत्तर नहीं है तो नियमित आधार पर पद का ब्यौरा दें।

(ख) सीपीआरआई में प्रतिनियुक्ति के मामले में क्या : हाँ/नहीं
आपका संगठन इस पद के पुर्ग्रहणाधिकार को रखने की अनुमति देगा

9. शैक्षिक अर्हताएं : अभ्यर्थी की अर्हताएं, जो निर्धारित अर्हता के समतुल्य या उच्चतर हों

अनिवार्य :

वांछनीय :

10. पूर्वधारित पद तथा आवेदित पद के संगत ब्यौरे :

धारित पद तथा पूरा वेतनमान	कार्यालय	अवधि से तक	कार्य की प्रकृति	दिया गया विशेष योगदान

11. आवेदित पद से संगत प्राप्त प्रशिक्षण के ब्यौरे

प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे	संस्थान जहां से प्रशिक्षण लिया गया	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की प्रकृति	उपलब्धियाँ

12. कार्यालय का पूरा नाम तथा पूरा पता

टेलीफोन	फैक्स

13. पूरा निवासीय पता

ई-मेल:	
टेलीफोन	फैक्स

14. वर्ग : अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग

15. यदि चुने गए तो कार्यभार ग्रहण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय

16. प्रकाशनों/प्राप्त शैक्षणिक सम्मानों की सूची

17. महानिदेशक, सीपीआरआई के पद के लिए सीधी भर्ती आधार/प्रतिनियुक्ति आधार पर मेरे आवेदन पर विचार करें।

18. तारीख सहित अभ्यथी के हस्ताक्षण :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

भाग-ख

संगठन का नाम :

संदर्भ सं. :

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के पद के लिए *श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा इस आवेदन के भाग-क में दी गई जन्म तिथि, अर्हता, अनुभव तथा अन्य ब्यौरों की जांच की गई व सही पाए गए।
- (2) *श्री/श्रीमती/कुमारीकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
- (3) अधिकारी के खिलाफ न तो कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है और न ही विचारणीय है।
- (4) अधिकारी के आवेदन के अग्रोषण के बाद अगर उनके खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई या शुरू करने का विचार किया गया, तो तत्काल विद्युत मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।
- (5) 2009-10 से लेकर अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें संलग्न हैं।
- (6) चयन किए जाने पर *श्री/श्रीमती/कुमारीको प्रतिनियुक्ति के आधार पर महानिदेशक, सीपीआरआई की नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके के नियमित पद के पुनर्ग्रहणाधिकार को रखने की अनुमति दी जाएगी।(प्रतिनियुक्ति के आधार पर अभ्यर्थियों पर विचार करने के मामले में)
*जो भी लागू न हो उसे काट दें।

तारीख :

पता :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

अधिकारी की मोहर

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा पता
(टेलीफोन/फैक्स नं. सहित)